



भारत की राजव्यवस्था

- “वह व्यवस्था जिसके द्वारा किसी राज्य (Country) को किस तरह से चलाया जायें, के बारे में अध्ययन राज व्यवस्था कहलाती हैं।”
- “एक या एक से अधिक राज्यों (Country) को चलाने की व्यवस्था के बारे में अध्ययन, राजनैतिक विज्ञान (Political Science) कहलाता है।”
- यहां राज्य (State) का मतलब किसी देश से है, ना कि किसी राज्य (Province— प्रदेश) विशेष से हो।
- राजनैतिक विज्ञान का जनक (पितामाह) अरस्तू, (यूनानी) को कहा जाता है।
- आधुनिक राजनैतिक विज्ञान का जनक निकोलो मैकियावेली, इटली को कहा जाता है।
- राज्य (State) के चार मुख्य घटक होते हैं।

1. भू-भाग

2. जनसंख्या

2. सरकार

3. संप्रभुता (Sovereignty)

- संप्रभुता (Sovereignty) – वह राज्य जो अपने आन्तरिक तथा बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए सम्पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, संप्रभुत्व राज्य कहलाता है। संप्रभुता होने के लिए किसी भी राज्य के पास उपर्युक्त चारों घटकों का होना अति आवश्यक होता है।
- जैसे- भारत एक संप्रभुता राज्य है, क्योंकि कोई भी देश अथवा कोई भी विश्व व्यापी संस्था किसी भी बात को मनवाने हेतु भारत पर दबाव नहीं बना सकती है। किन्तु, तिब्बत एक संप्रभु राज्य नहीं है, क्योंकि वहां पर चीन का प्रभुत्व स्थापित है।

संविधान के मुख्य अंग

1. कार्यपालिका (Executive)– इसका कार्य राज्य के लिए विधायिका द्वारा निर्मित विधि को लागू कराना।
 2. विधायिका (Legislative)– इसका कार्य राज्य के लिए आवश्यक विधि का निर्माण करना होता है।
 3. न्यायपालिका (Judiciary)– इसका कार्य विधायिका द्वारा निर्मित विधि की समीक्षा करना और यह देखना होता है कि कार्यपालिका निर्मित विधि को सही ढंग से लागू करा पा रही है या नहीं?
- जैसे–मानव शरीर के अंदर मस्तिष्क विधायिका, हाथ कार्यपालिका व आँखें न्यायपालिका का कार्य करती हैं।

भारत का संवैधानिक इतिहास

प्लासी का युद्ध (23 जून 1757 ई0) तथा बक्सर का युद्ध (22 अक्टूबर 1764 ई0) इन दोनों लड़ाईयों में जीत के साथ ही ईस्ट इण्डिया कम्पनी का अधिपत्य लगभग सम्पूर्ण भारत पर स्थापित हो चुका था।

1. कम्पनी का शासन (1773 ई0 से 1858 ई0 तक)

रेग्यूलेटिंग एक्ट (विनियामक अधिनियम), 1773 ई0

- कम्पनी के कार्यों को सीमित व नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार के द्वारा लिया गया यह पहला लिखित कदम था।
- तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री नॉर्थ के द्वारा गठित एक गुप्त समिति के आधार पर इस एक्ट का निर्माण किया गया था।

उद्देश्य

1. कम्पनी के अधिकारी / कर्मचारियों द्वारा रिश्वत / उपहारों को लेने से रोकने के लिए इस अधिनियम के द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित कराना।
2. अलग-2 प्रेसीडेन्सियों में कम्पनी के अधिकारी / कर्मचारियों के मध्य समन्वय स्थापित कराना।

प्रावधान

- कम्पनी के अधि० / कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार को बिना लाईसेंस के पूर्णतः बंद कर दिया गया।
- भारत में पहली बार केन्द्रीय प्रशासन की नींव पड़ी।
- कम्पनी के अधिकारी / कर्मचारियों द्वारा लिये जाने वाले उपहारों (रक्त सम्बन्धियों द्वारा दिये गये उपहारों को छोड़कर) तथा रिश्वत को पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित कर दिया गया।
- अलग-2 प्रैसीडेन्सियों के अधिकारियों / कर्मचारियों के मध्य समन्वय स्थापित कराने हेतु सबसे बड़ी प्रैसीडेन्सी बंगाल के गवर्नर को “बंगाल का गवर्नर जनरल” बना दिया गया, तथा शेष दो प्रैसीडेन्सियाँ मद्रास तथा बम्बई के गवर्नरों को इसका अधीनस्थ बना दिया गया था।
- बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था।
- 1774 ई० में भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई। जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलियाज इम्पे तथा तीन अन्य न्यायाधीश 1. चैम्बर्स 2. लिमेंस्टर 3. हाइड थे।
- यह भारत के उच्चतम न्यायालय (सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली) से बिल्कुल अलग था।
- भारत का सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ी अपील अदालत है, जबकि 1774 ई० का सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अपील अदालत नहीं था। इसके बाद भी ब्रिटिश क्रॉउन (प्रीवि काउंसिल) के समक्ष अपील की जा सकती थीं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, भारतीय संविधान के अनु०- 124 के तहत 28 जनवरी 1950 ई०, को नई दिल्ली में की गयी है।
- भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय (Federation Court) है। जिसमें भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1774 ई० वाले सुप्रीम कोर्ट को भी मिला दिया गया है।
- संघीय न्यायालय (Federation Court) के अन्तर्गत मुख्यतः तीन मामलों को ही सुना जाता है।
 - i. केन्द्र तथा राज्यों के मध्य विवाद।
 - ii. दो विभिन्न राज्यों के मध्य विवाद।
 - iii. राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव सम्बन्धित विवाद।
- निदेशक मण्डल (Court of Director) की स्थापना की गयी, यह नियत कर दिया गया कि इसके सदस्य अब 04 वर्षों के लिए नियमित रहेंगे तथा ¼ सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होते रहेंगे।
- इस मण्डल में कुल सदस्यों की संख्या 24 थीं।
- गवर्नर जनरल की सहायता हेतु चार सदस्यों वाली कार्यकारिणी परिषद् (Council of Governor General) का गठन किया गया। जिसमें निर्यातक मत देने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया।
- निदेशक मण्डल (Court of Director) के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कम्पनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया था। सेना, प्रशासन तथा राजस्व के मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अब कम्पनी के लिए आवश्यक कर दिया गया था।

संशोधनात्मक अधिनियम, 1781 ई०

- रेग्युलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिये यह अधिनियम लाया गया था।

पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 ई०

- पिट्स इंडिया एक्ट का शीर्षक “ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र” था।
- भारत में द्वैध शासन (Dyarchy) का प्रारम्भ हुआ। 1. BOC 2. COD की स्थापना की गयी।
- प्रारम्भ- 1784 ई० में तथा समाप्ति-1858 ई० में (शाही उपाधि अधिनियम- 1858 ई० के द्वारा)।
- BOC तथा COD का कोई भी Institute भारत में स्थित नहीं था।

1. **बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स (Board of Controller's)** – कम्पनी के राजनैतिक मामलों के लिए नियंत्रक मण्डल की स्थापना की गयी। इसके तहत नागरिक, सैन्य तथा राजस्व के मामलों को देखा जाता था। नियंत्रक मण्डल में कुल सदस्यों की संख्या- 6 थीं, जो सभी लंदन में बैठे अंग्रेज थे।
2. **कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स (Control of Director's)** – कम्पनी के व्यापारिक मामलों के लिए था।

चार्टर अधिनियम, 1813 ई०

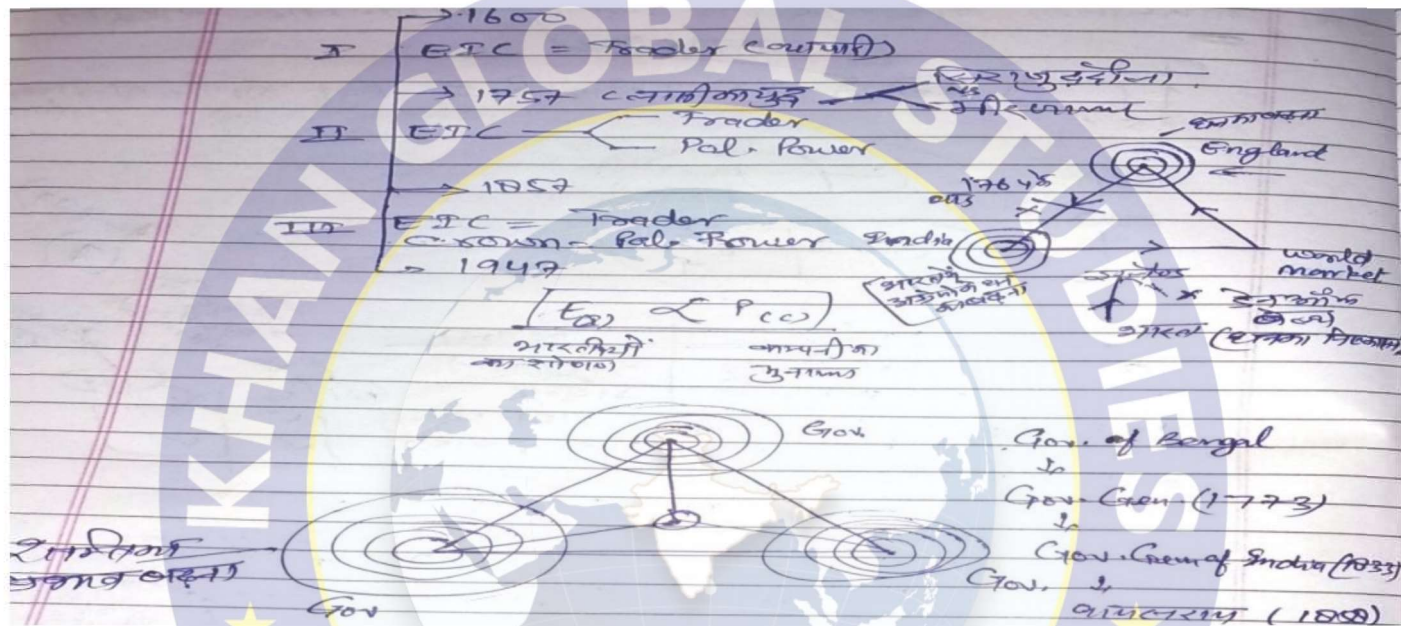
- इस एक्ट के द्वारा **ईस्ट इण्डिया कम्पनी** का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया।
- **अपवाद**— भारत में चाय का व्यापार तथा चीन के साथ सभी तरह के व्यापार (अफीम के व्यापार की वजह से) पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी को अभी भी एकाधिकार प्राप्त था।
- कम्पनी ने ब्रिटिश संसद के अधिकारियों को रिश्वत देकर इन अधिकारों को बचा लिया था।
- **ईसाई धर्म प्रचारकों** (मिस्नरियों) को भारत में आने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी।
- **1 लाख रुपये** प्रति वर्ष भारतीयों की शिक्षा पर खर्च कराने का प्रावधान किया गया, परन्तु कभी भी खर्च नहीं किया। (टिंक— “तेरे व्यापार के एक लाख धर्म प्रचार में लगा दिये”)
- **ईस्ट इण्डिया कम्पनी** की स्थापना **31 दिसम्बर 1599 ई०** को लंदन में की गयी थी।
- यह कम्पनी **1600 ई०** में भारत में व्यापार करने के मंसूबों के साथ आई थी।
- **31 दिसम्बर 1600 ई०** में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कम्पनी को 15 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार (**Trade Monopoly**) प्रदान कर दिया था।
- **1603 ई०** में महारानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु के बाद ब्रिटेन के राजा चार्ल्स प्रथम ने यह अधिकार अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया।
- **01 जनवरी 1884 ई०** को कम्पनी को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था।

चार्टर अधिनियम, 1833 ई०

- कम्पनी का व्यापारिक एकाधिकार (**Trade Monopoly**) बिल्कुल समाप्त कर दिया गया था।
- कम्पनी को प्रशासनिक व राजनैतिक अधिकार सौंपा गया, यह अब कोई व्यापार नहीं कर सकती थी।
- बंगाल तथा मद्रास के गवर्नरों को कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया।
- इस प्रकार भारत में केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया गया था।
- मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधिक आयोग की स्थापना की गई।
- किस की सिफारिशों पर पढ़ाई का माध्यम बदल कर अंग्रेजी भी किया जाने लगा था?— मैकाले
- बंगाल के गवर्नर जनरल को “भारत का गवर्नर जनरल” कहा जाने लगा, जिस कारण बंगाल के गवर्नर का पद खाली हो गया था।
- भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बैंटिक था।
- कम्पनी में सेवा / नौकरी हेतु किसी भी भारतीय के साथ धर्म, जाति, मूलवंश, जन्म स्थान तथा रंग के आधार पर विभेद नहीं किया जायेगा। जो वर्तमान के संविधान में अनु०- 15 में दिखाई पड़ता है।
- भारतीय सिविल सेवा (ICS) में चयन हेतु भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन प्रारम्भ कराने हेतु प्रयास किया गया, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इन खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं को आरम्भ किया जाना सम्भव नहीं हो सका था।
- भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बैंटिक के द्वारा **1843 ई०** में “दास प्रथा” को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया था।
- जिसके बाद गवर्नर जनरल एलनवरो ने **1843 ई०** में ही “दास प्रथा” का उन्मूलन किया था।

ચાર્ટર અધિનિયમ, 1853 ₹0

- **बंगाल** के गवर्नर का पद खाली होने के पर वहां के लिए एक **उप-गवर्नर** का पद सृजित किया गया।
- COD में **सदस्यों** की कुल संख्या को 24 से घटाकर **18** कर दिया गया था।
- **नामजदगी खत्म** करके कम्पनी के महत्वपूर्ण पदों को खुली **प्रतियोगिता परीक्षाओं** से भरा जाने लगा।
- **मैकाले समिति** की अनुशंसा पर **भारतीय सिविल सेवा (ICS)** में चयन हेतु भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं को पुनः आरम्भ करा दिया गया था।
- **1853 ई0** में **भारतीयों** को इस परीक्षा में बैठने का अधिकार **नहीं** मिला था।
- **भारतीयों** के लिए इन प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेना **1854 ई0** से आरम्भ किया गया।
- **1854** में **सत्येन्द्रनाथ टैगोर** (रविन्द्रनाथ के भाई) ने भारतीय के रूप में पहली बार परीक्षा पास की।



2. ताज का शासन (1858 ई० से 1947 ई० तक)

ભારત શાસન અધિનિયમ, 1858 ઈ0

- यह ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र था। इस अधिनियम से ब्रिटेन की संसद का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं था।
- 1857 ई० के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश शासन के द्वारा कुछ ठोस कदम उठाये गये थे।
- भारत पर सत्ता का हस्तांतरण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया।
- भारतीयों के लिए लंदन में भारत सचिव नाम से एक पद सृजित किया गया, जो लंदन में रहकर भारत का ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी होता था।
- भारत सचिव की सहायता के लिए एक परिषद् का गठन किया गया, जिसमें कुल 15 सदस्य थे।
- इस परिषद् के सदस्यों का वेतन भारत के राजस्व से दिया जाना सुनिश्चित किया गया।
- इस परिषद् का अध्यक्ष- भारत सचिव होता था।
- भारत के गवर्नर जनरल के पद का नाम बदल कर भारत का वायसराय कर दिया गया, जो भारत में रहकर ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी होता था। यह भारत में सर्वोच्च सैन्य पद था।
- भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग था।
- दोहरे शासन का अन्त कर दिया गया, नियंत्रक मण्डल (BOC तथा COD) भंग हो गया।
- पील कमीशन की सिफारिशों पर सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात जो पहले 5:1 था, को कम कर 2:1 कर दिया गया। मतलब पहले 5 सैनिक भारत के तथा 1 सैनिक ब्रिटिश का, के अनुपात में थे।

चार्टर अधिनियम, 1861 ई०

- पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में **भारतीयों** को शामिल किया गया था।
- इस प्रक्रिया में 1. **बनारस के राजा** 2. **पटियाला के राजा** 3. **सर दिनकर राव** को शामिल किया था।
- **विकेन्द्रीकरण** कर **मद्रास** तथा **बम्बई** के गवर्नरों को कानून बनाने का **पूर्ण अधिकार** दे दिया गया।
- **केन्द्रीय कार्यकारणी** (वायसराय की परिषद्) में अब **5वें** सदस्य के रूप में एक **विधिवेत्ता** को जोड़ा।
- **अध्यादेश** जारी करने की शक्ति **गवर्नर जनरल** को प्रदान की गयी।
- प्रान्तों में **विधान परिषदों** का गठन किया गया।

1. बंगाल 1862 ई०,
2. उत्तर-पश्चिम सीमान्त प्रान्त 1866 ई०
3. पंजाब 1897 ई०

- **गवर्नर जनरल** तथा **वायसराय** के पदों में क्या अंतर होता था? जब ब्रिटिश प्रान्त का शासन देखता था, उसे गवर्नर जनरल कहा जाता था, परन्तु जब किसी Princely State के राजा के साथ ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता था तो, उसे वायसराय कहा जाता था। यह एक ही व्यक्ति होता था।
- **1883 ई०** में **वायसराय रिपन** ने “**इल्बर्ट बिल**” पेश किया। जिसमें प्रावधान किया गया कि, भारत में बसे यूरोपियों के मुकदमें सुनने तथा अपराध साबित होने पर उन्हें सजा सुनाने का अधिकार भारतीय जजों को दिया जाता है।
- इस बिल का अत्यधिक विरोध होने के कारण **वायसराय रिपन** को अपने पद से **त्याग-पत्र** देना पड़ा।

शाही उपाधि अधिनियम, 1876 ई०

- **28 अप्रैल 1876 ई०** को **रानी विक्टोरिया** को **भारत की साम्राज्ञी** घोषित कर दिया गया था।
- **केन्द्रीय कार्यकारणी** (गवर्नर जनरल की परिषद्) में **1876 ई०** में **6वाँ** सदस्य जोड़ा गया था। जिसे **PWD** का कार्य सौंपा गया था।

भारत शासन अधिनियम, 1892 ई०

- भारतीयों को **बजट** पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। परन्तु **अनुपूरक प्रश्न** (प्रश्न से सम्बन्धित दूसरा प्रश्न) पूछने का अधिकार तथा बजट पर मताधिकार **नहीं** दिया गया था।
- इस अधिनियम के तहत **अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली** की शुरुआत की गयी।

भारत शासन अधिनियम, 1909 ई०

- इस अधिनियम को **मार्ले-मिंटो सुधार** भी कहा जाता है। क्योंकि उस समय **भारत सचिव मार्ले** तथा **भारत का वायसराय मिंटो** था।
- **विधान परिषद्** का आकार बढ़ा कर **16 से 60 सदस्यों** वाली कर दिया गया था।
- भारतीयों को **बजट** पर **अनुपूरक प्रश्न** (प्रश्न से सम्बन्धित दूसरा प्रश्न) पूछने का अधिकार दे दिया गया, परन्तु बजट पर **मताधिकार** अभी भी **नहीं** दिया गया था।
- गवर्नर जनरल की परिषद् में पहली बार **भारतीय सदस्य सतेन्द्र प्रसाद सिन्हा** को **विधिक सदस्य** के रूप में जोड़ा गया।
- **मुस्लिम उम्मीदवारों** हेतु **पृथक् निर्वाचन** की व्यवस्था की गई। मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही अपने मत का प्रयोग कर सकते थे, यह प्रावधान किया गया।
- इन्हीं कारणों से भारतीय वायसराय **मिंटो** को **साम्प्रदायिक निर्वाचन** का **जनक** कहा जाता है।
- इस एक्ट के तहत पहली बार “**परितंत्र भारत**” में “**आरक्षण**” का प्रावधान कर दिया गया था।

- जब मुस्लिमों को लगा की अंग्रेज कोई भौतिक लाभ प्रदान नहीं कर रहे हैं, तो **पहली बार मुस्लिम लीग ने 1913 ई0 में पूर्ण स्वराज की मांग कर दी।**
- **पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार 1906 ई0 में की थी।**
- **के0एम0 मुंशी ने कहा था कि, इस एक्ट से भारत में उभरते प्रजातंत्र का गला घोट दिया गया है।**
- यह ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में **सबसे कम चलने वाला अधिनियम था।**

भारत शासन अधिनियम (मॉण्डेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार), 1919 ई0

- उस समय **मॉण्डेग्यू भारत सचिव** तथा **चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय** के पद पर आसीन था।
- सिक्खों, बौद्धों, जैन, ईसाईयों तथा यूरोपियों को पृथक् निर्वाचन क्षेत्र देने का प्रस्ताव रखा गया।
- जिसका **सिक्खों** द्वारा अत्यधिक विरोध करने के कारण इस प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा।
- **भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना इस अधिनियम का उद्देश्य था।**
- **1858 में भारत सचिव की 15 सदस्यीय परिषद् का वेतन पहले भारतीय राजस्व से दिया जाता था।**
- इस अधिनियम के बाद इनका वेतन **ब्रिटिश राजस्व से दिया जाना सुनिश्चित किया गया**, तो इनकी अधिकतम संख्या को **12** तथा कम से कम **08** कर दिया गया था।
- भारत में **द्विसदनीय प्रणाली** की शुरुआत की गयी।
 1. **Indian Legislative Assembly (भारतीय विधानसभा)**— वर्तमान की **लोकसभा** के समकक्ष।
 2. **State Legislative Council (राज्य विधान परिषद्)**— वर्तमान की **विधानसभा** के समकक्ष।
- **प्रान्तों (Provinces) में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया**, जिसका जनक **लियोनस कार्टियस** था।
- **द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति भारत शासन अधिनियम 1935 ई0 के द्वारा कर दी गयी थी।**
- **द्वैध शासन का अर्थ था— दीवानी, राजस्व का अधिकार अंग्रेजों के पास तथा प्रशासनिक अधिकार राजा / नवाब के पास होना।**
- परन्तु, यहाँ द्वैध शासन का अर्थ था— **राजा / नवाब के साथ-2 राजनैतिक अधिकारों में भी अंग्रेजों के द्वारा हस्तक्षेप करना आरम्भ होना।** इस एक्ट के अनुसार **प्रान्तों पर राजा के शासन के साथ-2 अंग्रेजों ने भी शासन करना आरम्भ कर दिया जिससे प्रान्तों की जनता में असंतोष व्याप्त होने लगा।**
- **कानून बनाने के अधिकारों को 2 पृथक् सूचियों में विभक्त कर देना।**
 1. **रिजर्व लिस्ट— केवल अंग्रेजों को इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार था।**
 2. **ट्रांसफर लिस्ट (हस्तांतरित सूची)— इस सूची में शामिल विषयों पर राजा / नवाब को कानून बनाने का अधिकार था।**
- **जैसे- पशुपालन विभाग, मत्स्य पालन विभाग आदि कोई बड़ा विभाग नहीं था।**
- **01 अक्टूबर 1926 ई0 को संघ लोक सेवा आयोग (Central Public Service Commission) की स्थापना की गई।**
- **CAG (Comptroller and Auditor General) के पद को भारत में पहली बार सृजित किया गया**, तथा इसकी नियुक्ति **भारत सचिव** करता था।
- इस अधिनियम के तहत केन्द्रीय बजट से **राज्यों (प्रान्तों) के बजट को अलग कर दिया गया।**
- इस एक्ट के तहत **प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गयी थी।** जो **सीमित व्यस्क मताधिकार** के रूप में शिक्षा (स्नातक), सम्पत्ति (जमींदार), तथा करदाताओं को प्रदान किया गया था।
- जिनकी **कुल संख्या लगभग 2% थी।**
- **महिलाओं को भी पहली बार मताधिकार प्रदान किया गया था।**

नेहरू रिपोर्ट 1928 ई0

- नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का 'ब्लू प्रिंट' भी कहा जाता है।
- 1925 ई0 में भारत के सचिव बर्कन हेड ने कांग्रेस के नेताओं को चुनौती दी कि यदि विभिन्न संप्रदायों की आपसी सहमति से वे संविधान का मसौदा तैयार कर लें तो ब्रिटिश सरकार उस पर सहानुभूति ढंग से विचार कर सकती है।
- 12 फरवरी 1928 को दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें सभी छोटे बड़े 29 दलों (संगठनों) के साथ संविधान के निर्माण के सम्बन्ध में कोई मसौदा न बन सका।
- 10 मई 1928 ई0 को दूसरी बैठक बुलाई गई जिसमें 8 सदस्यों की एक समिति को गठित किया।
- अध्यक्ष पं0 मोतीलाल नेहरू थे। (जो अपने समय के सबसे महर्गें तथा सबसे प्रसिद्ध वकील थे)
- यह रिपोर्ट इस समिति के सदस्य तेज बहादुर सप्रू द्वारा निर्मित की गयी थीं।
- इस समिति का महासचिव, पं0 जवाहर लाल नेहरू को बनाया गया था।

नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख मांग निम्नलिखित थीं।

- भारत को एक डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाये। जिसका अर्थ था कि, अगर ब्रिटिश सरकार चाहें तो कुछ विशेष अधिकार भारतीयों को प्रदान किये जायें।
 - जैसे:- Online Class में अध्यापक के मना करने के बाद भी बच्चों का लगातार शरारत करना।
- जबकि स्वतंत्र राज्य का अर्थ होता है पूर्ण अधिकार जैसे:- Offline Class, जहाँ अगर एक बार अध्यापक ने मना कर दिया तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई दोबारा शरारत कर दे।
- संसदीय रूप की सरकार स्थापित की जाये जिसमें द्विसदनीय विधायिका (निम्न, उच्च सदन) हो।
- भारत में संघीय रूप की सरकार स्थापित की जाये, जिसमें अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को प्रदान हों।
- अल्पसंख्यकों के लिए पृथक् निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दिया जाये। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली स्थापित की जाये। निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रीति से कराया जाना चाहिए।
- न्यायपालिका, विधायिका से स्वतंत्र होनी चाहिए।
- सिंध को बम्बई प्रान्त से अलग किया जाये।
- भारत का गवर्नर जनरल केवल एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्यरत रहेगा। (रबर स्टाम्प)
- केन्द्र सरकार में एक चौथाई मुस्लिम प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
- भारत में प्रांतों का गठन भाषाई आधार पर किया जाना चाहिए।
- भारत में उच्चतम न्यायालय, लोक सेवा आयोग और प्रतिरक्षा समिति की स्थापना होनी चाहिए।
- नेहरू रिपोर्ट को 1928 ई0 में पेश किया था।
- कलकत्ता अधिवेशन- 1928 ई0 में पं0 मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में रावी नदी के किनारे पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ।
- जिसमें नेताजी सुभाषचन्द्र बोस तथा पं0 जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों को नेहरू रिपोर्ट को लागू कराने के लिए अधिक समय देना का विरोध करने पर 31 दिसम्बर 1929 ई0 तक का समय दिया।
- ब्रितानी सरकार ने इसे अत्यधिक प्रगतिशील कहकर 1930 ई0 में मानने से इनकार कर दिया था।
- जिसके बाद महात्मा गाँधी ने भारत के वायसराय इरविन के समक्ष अपने 11 सूत्रों माँग रखी थीं।
- तब इरविन ने गाँधी का अत्यधिक अपमान किया, जिसका प्रत्योत्तर सविनय अवज्ञा, 1930 ई0 था।
- 26 जनवरी 1930 ई0 को लाहौर अधिवेशन में, प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया था।
- इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 के दिन लागू किया गया। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी के दिन भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है।

नेहरू रिपोर्ट 1928 ई0



31 दिसम्बर 1930 ई0

(1928 ई0 में इस तिथि तक स्वशासन की मांग की बात की। जिसे 1929 ई0 में बदल कर में पूर्ण स्वराज कर दिया गया)



महारानी को अपनी सामग्री मानना
परन्तु आन्तरिक मामलों में
पूर्ण स्वराज्य की बात की।

स्वशासन

स्वराज (पूर्ण राजनैतिक स्वतंत्रता)

भारत शासन अधिनियम 1919 (ICE-Indian Council Act) - साइमन कमीशन - कांग्रेस - नेहरू रिपोर्ट 1928
(इस अधि० की जाँच हेतु साइमन कमीशन भारत आया था। इसकी रिपोर्ट के आधार पर 3 गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित कराये गये जिसके अंतिम निर्णय के आधार पर ही भारत शासन अधि०, 1935 लाया गया था।)

अंतिम निर्णय

रिपोर्ट

1 गोलमेज सम्मेलन 1930

2 गोलमेज सम्मेलन 1931

3 गोलमेज सम्मेलन 1932

शासन अधिनियम, 1935 ई0

- नेहरू रिपोर्ट स्वीकार न किये जाने पर जिन्ना, मुस्लिम लीग के मुहम्मद शफी और आगा खां गुट से जा मिले। जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर, 1929 में अलग से चौदह सूत्री मांगे की।

जिन्ना की चौदह सूत्री मांगे:-

1. संविधान का स्वरूप संघात्मक हो जिसमें अवशिष्ट शक्तियाँ प्रान्तों में निहित हों।
2. सभी प्रांतों को एक समान स्वायत्तता प्राप्त हो।
3. सभी व्यवस्थापिका सभाओं और निर्वाचित संस्थाओं का गठन अल्पसंख्यकों के पर्याप्त तथा प्रभावपूर्ण प्रतिनिधित्व के आधार पर हो।
4. केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम-से-कम एक-तिहाई हो।
5. सांप्रदायिक समूहों को प्रतिनिधित्व देने के लिए पृथक् निर्वाचक मंडल की व्यवस्था हो।
6. किसी भी प्रकार का क्षेत्रीय पुनर्गठन पंजाब, बंगाल और उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत में मुसलमानों के बहुमत में परिवर्तन न लाए।
7. सभी सम्प्रदायों को विश्वास, पूजा, प्रचार, संघ और शिक्षा की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त हो।
8. किसी भी व्यवस्थापिका सभा या निर्वाचित निकाय में कोई भी ऐसा प्रस्ताव पास न हो जिसका विरोध किसी संप्रदाय के 3-4 सदस्य करें।
9. सिन्ध को बम्बई प्रांत से पृथक् कर दिया जाये।
10. सीमांत और बलूचिस्तान में अन्य प्रांतों की तरह सुधार लाये जाएँ।
11. कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए मुसलमानों को सभी सेवाओं में पर्याप्त स्थान दिया जाये।
12. मुस्लिम संस्कृति, शिक्षा, भाषा, धर्म और व्यक्तिगत कानूनों की सुरक्षा और उन्नति के लिए पर्याप्त संरक्षण की व्यवस्था हो।
13. केन्द्रीय या प्रांतीय मंत्रिमंडलों में कम से कम एक-तिहाई मुसलमान हों।
14. संविधान में संशोधन लाने के लिए संघ के सभी प्रांतों की स्वीकृति आवश्यक हो।

- जिन्ना की इन 14 सूत्री मांगों को भी अंग्रेजों ने स्वीकार करने से इंकार कर दिया।

भारत शासन अधिनियम, 1935 ई०

- भारत शासन अधिनियम 1935 ई० के समय भारत का वायसराय **वेलिंग्टन (1931-1936 ई०)** था।
- इस अधिनियम में **कुल 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूची तथा 14 भाग** थे।
- यह अधिनियम **साइमन कमीशन की रिपोर्ट** पर आधारित था।
- इस एक्ट के द्वारा **पहली बार संघात्मक सरकार** की स्थापना की शुरुआत की गयी।
- इस अधिनियम द्वारा एक **अखिल भारतीय संघ (All India Federation)** का प्रस्ताव रखा गया।
- परन्तु यह फेडरेशन कभी **बनाया नहीं** जा सका। इसमें **11 ब्रिटिश प्रान्त, 06 चीफ कमिश्नरी प्रान्त** तथा **रियासतों** के शामिल होने का प्रावधान था।
- इस एक्ट के द्वारा **संघीय न्यायालय** की स्थापना **01 अक्टूबर 1937 ई०** में की गई। इसके पहले प्रमुख जज **सर मौरिस ग्वेयर** थे।
- **भारत सचिव की सदस्यीय परिषद्** को 1937 ई० में **समाप्त** कर दिया गया।
- भारत की आजादी से पहले इस एक्ट को **मिनी संविधान** कहा जाता है। परन्तु **वर्तमान** में मिनी संविधान **42वें संविधान संशोधन, 1976 ई०** को कहा जाता है।
- वर्तमान भारतीय संविधान का **2/3 भाग (लगभग 250 अनुच्छेद)** इसी अधिनियम से ज्यों का त्यों या कुछ फेर-बदल कर लिये गये हैं। इसे भारत की **स्वतंत्रता की नींव** भी कहा जाता है।
- इस एक्ट के द्वारा **लोक सेवा आयोग (Central Public Service Commission)** का नाम बदलकर **संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission)** कर दिया गया।
- UPSC की तर्ज पर **SPSC (State / Province Service Commission)** की स्थापना की गयी थीं।
- इस अधिनियम के तहत **रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI)** की स्थापना की गयी।
- **वर्मा (वर्तमान म्यांमार)** को 1937 ई० में **भारत से पृथक्** कर दिया गया।
- **संघ सूची (59 विषय), राज्य सूची (54 विषय), समवर्ती सूची (36 विषय)** इसी एक्ट की देन थीं।
- **प्रान्तों (Provinces)** से द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया।
- **केन्द्र** में द्वैध शासन प्रणाली प्रारम्भ कर दिया गया था।
- भारत में **सबसे पहले 1937 ई० में "विधानसभा"** का चुनाव **11 प्रान्तों** में किया गया था।
- जिसमें **7 प्रान्तों** में पूर्ण बहुमत तथा **4 प्रान्तों** में कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनी थीं।
- **प्रान्तों (Provinces)** को आजादी देकर मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल का पद सृजित कर दिया गया।
- **पं० जवाहरलाल नेहरू** ने इसे एक ऐसी कार बताया था, जिसमें **ब्रेक तो है पर इंजन नहीं व दासता का अधिकार पत्र भी** कहा था।
- **सीमित व्यस्क मताधिकारों** में वृद्धि की गयी, जिनकी संख्या पहले लगभग **2 प्रतिशत** थीं जो अब बढ़कर **10 प्रतिशत** हो गयी थीं।
- **वायसराय** को आपातकालीन समय में **अध्यादेश जारी** करनी की शक्ति प्रदान की गयी थीं।

संविधान सभा का इतिहास

- **महात्मा गाँधी 9 जनवरी 1915 ई०** को **दक्षिण अफ्रीका** से वापस भारत आये।
- **प्रथम विश्व युद्ध (1914-19)** के समय भारतीयों द्वारा ब्रिटेन का सहयोग करने के लिए गाँधी जी ने समर्थन किया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने युद्ध समाप्ति पर भारत को आजादी का आश्वासन दिया था।
- महात्मा गाँधी को ब्रिटेन का समर्थन करने के लिए उन्हें **सेना में भर्ती** करने वाला **सार्जेंट** कहा गया।
- युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को आजादी **नहीं** मिलने पर महात्मा गाँधी अंग्रेजों के खिलाफ आन्दोलनकारी हो गये। महात्मा गाँधी अपनी जिन्दगी के शुरुआत दौर में **एक वकील** थे।

- द्वितीय विश्व युद्ध (1 सितम्बर 1939 ई० से 2 सितम्बर 1945 ई० तक) के समय भारत ने ब्रिटेन का सहयोग करने के लिए पूर्ण रूप से मना किया।

I. भारतीयों को मनाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम "अगस्त प्रस्ताव" भारतीयों के समक्ष रखा था।

अगस्त प्रस्ताव

- यह प्रस्ताव भारतीय के समक्ष 8 अगस्त 1940 ई० वायसराय लिनलिथगो (1936-1944) ने रखा था।

अगस्त प्रस्ताव के उद्देश्य

- डोमेनियन राज्य के निर्माण को मुख्य उद्देश्य माना था।
- पहली बार संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को दिया गया था।
- कांग्रेस के द्वारा 7 राज्यों से इस्तीफा देने के बाद वहाँ राज दोबारा करते रहने का प्रस्ताव रखा। परन्तु किसी भी राज्य की विधानसभा ने इसे स्वीकार नहीं किया था।
- भारतीयों को मनाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने दूसरा कदम क्रिप्स मिशन योजना का प्रस्ताव रखा।
- जिसमें भारतीयों को स्वतंत्रता देने का पूर्ण आश्वासन ब्रिटेन की सरकार ने किया था।
- इन दोनों ही प्रस्तावों को भारतीयों के द्वारा मानने से इनकार कर दिया गया था।
- 1942 ई० में जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी बढ़त पर था, तो ब्रिटेन की सरकार पर भारतीय को इस युद्ध में शामिल कराने का दबाव बढ़ने लगा था।
- जिसके बाद राज्य की विधानसभाओं ने अपना कार्य दोबारा से स्वीकार कर लिया था।
- द्वितीय विश्व युद्ध में भारी संख्या में भारतीयों के मारे जाने के कारण सभी 7 प्रान्तों की विधान सभाओं से सभी दलों के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था।

मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग / द्वि-राष्ट्रीय सिद्धान्त (23 मार्च 1940 ई०)

- 23 मार्च 1940 को मौहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में लाहौर मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ।
- जिसमें पाकिस्तान के रूप में एक अलग राष्ट्र का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित किया गया था।
- सबसे पहले मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र की मांग मौहम्मद इकबाल ने 1930 ई० की थी।
- "सारे जहाँ से अच्छा हिन्दुस्तान हमारा..." गीत को अपनी पुस्तक "तराना-ए-हिन्द" में मौहम्मद इकबाल (कवि, राजनीतिज्ञ, चिंतक) ने लिखा। जिसे स्वाधीनता के आन्दोलनों में गाया गया था।
- 1933-35 ई०, केंब्रिज में पढ़ने वाले चौधरी रहमत अली नाम के युवक ने "पाकिस्तान" शब्द को गढ़ा।
- 23 मार्च 1943 ई० को मुस्लिम लीग द्वारा पहली बार पाकिस्तान दिवस मनाया गया।
- 1942 ई० में क्रिप्स मिशन का विरोध मुस्लिम लीग ने इसलिए किया, क्योंकि इसके तहत पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र के तौर पर नहीं माना गया था।
- खिलाफत व असहयोग आंदोलन में हिंदू-मुस्लिम एकता का जो दृश्य देखने को मिला वह अब साम्प्रदायिकता में बदल चुका था।

II. क्रिप्स मिशन 1942 ई०

- जापान की लगातार बढ़ती हुई शक्ति से उसके प्रतिद्वंद्वी राष्ट्र परेशान हो गए। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व चीन आदि देशों ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिये दबाव डालना आरम्भ कर दिया था।
- परिणाम स्वरूप लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नेता क्लिमेंट एटली ने चुनावों से पूर्व ब्रिटेन में घोषणा की, कि यदि उनकी पार्टी जीतकर सत्ता में आती है, तो भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया जाएगा।
- क्योंकि अब असहयोग आंदोलन के कारण ब्रिटेन को 85% टैक्ट पिछले तीन वर्षों से प्राप्त नहीं हुआ।
- इसलिए अब अरबों रुपये प्रति वर्ष भारत में ब्रिटेन की सत्ता को चलाने के लिए मंगाने पड़ रहे थे।

- जिस कारण अब ब्रिटेन की जनता खुद भारत को आजाद कराना चाहती थीं। परिणामस्वरूप चर्चिल को चुनाव में जनता ने एक-तरफा रूप से वोटिंग करके पराजित कर दिया।
- “जिसके बाद कहा गया था कि, चर्चिल दुनिया तो जीत गया परन्तु ब्रिटेन हार गया”।
- द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की जीत के बाद भारत की स्वतंत्रता के लिए 11 मार्च 1942 ई0 को क्रिप्स मिशन 1942 ई0, भारत भेजने की घोषणा की गयी।
- सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ब्रिटेन की सरकार में कैबिनेट मंत्री के नेतृत्व में 23 मार्च 1942 ई0 को एकल प्रतिनिधि, भारत पहुँचा।
- क्रिप्स मिशन की घोषणा में भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिये जाने की बात की गई।
- जिसने भारत में आकर स्वशासन की बात भारतीयों के समक्ष रखी, और कहा कि हम एक ऐसे भारतीय संघ का निर्माण करेंगे जिसे पूर्ण उपनिवेश कहा जाएगा।
- इसमें सिर्फ भारतीयों को स्वतंत्रता देने का आश्वासन था। जिसको भारतीयों के द्वारा मानने से इनकार कर दिया गया था।
- महात्मा गाँधी ने कहा यह एक “उत्तर दिनांकित चैक (आगे की तरीख का चैक) है” तथा पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा “यह एक ऐसे बैंक का चैक है, जो अब टूटने वाला है।”
- मौलाना अब्दुल कलाम और पं0 नेहरू ने इस मिशन की समीक्षा की।
- क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया।
- मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र की मांग करते हुए अपनी-2 संविधान संभाओं की मांग की।

नोट:- भारत छोड़ो आंदोलन (8 अगस्त 1942 ई0) के परिणाम स्वरूप भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया।

कैबिनेट मिशन योजना, 1946 ई0

- फरवरी 1946 ई0 में ब्रिटेन की लेबर पार्टी की जीत के बाद नवनिर्वाचित ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने अपने वादे के अनुसार, भारतीय नेताओं से अनौपचारिक स्तर पर बातचीत कर संसदीय दल कैबिनेट मिशन को भारत भेजा।
- कैबिनेट मिशन के सदस्य निम्नलिखित थे।
 1. पैथिक लॉरेंस, अध्यक्ष
 2. सर स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स
 3. ए0पी0 एलेक्जेंडर
- 24 मार्च 1946 ई0 को कैबिनेट मिशन भारत आया। भारत में आकर सबसे पहले इस दल ने भारतीयों के साथ एक सर्वदलीय बैठक की।

कैबिनेट मिशन योजना के मुख्य कार्य

1. अन्तरिम सरकार का गठन करना।
 - ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्यों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण होना चाहिए। जिसके लिए एक अन्तरिम सरकार का गठन किया जाये। जिसे सभी मामलों में निर्णय लेना का पूर्ण अधिकार होगा। (जैसे- रक्षा, संचार, सैन्य आदि)
 - संघ की कार्यपालिका एवं विधान मंडल में ब्रिटिश, भारतीय तथा रियासतों के प्रतिनिधि होंगे।

अन्तरिम सरकार

- 2 सितम्बर 1946 ई0 को अन्तरिम सरकार का गठन किया गया।
- अन्तरिम सरकार का अध्यक्ष- माउण्ट बेटन
- अन्तरिम सरकार का उपाध्यक्ष- पं0 जवाहर लाल नेहरू

- शुरुआत में सदस्यों की संख्या कुल 13 थीं, परन्तु 26 अक्टूबर 1946 ई0 को मुस्लिम लीग के शामिल होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 सदस्यों को इस्तीफा दिला दिया गया।
- 5 सदस्य मुस्लिम लीग के मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या अब 15 कर दी गयी थीं।
- डॉ0 अम्बेडकर ने कहा था, कि “यह एक देश की सरकार है जिसे दो देश मिलकर चला रहे हैं।”

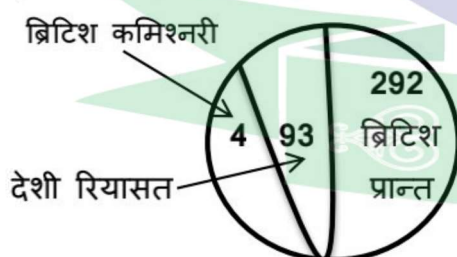
2. संविधान सभा का निर्माण कराना।

- मुस्लिम लीग ने पृथक् राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। जिसे कैबिनेट मिशन ने अस्वीकृत कर दिया।
- 29 जून 1946 ई0 को मुस्लिम लीग ने पूर्णतया आच्छादित होकर पाकिस्तान की माँग को बल दिया तथा कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया।
- जिसके परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ई0 को सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा की। जिस कारण हिन्दू-मुस्लिम दंगे पूरे भारत में व्यापक रूप से भड़क गये थे।
- हिंदू बाहुल्य क्षेत्र बिहार में मुसलमानों पर तथा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र (नोआखली और टिप्पड़ा) में हिंदूओं पर अत्याचार / नरसंहार किये गये।
- महात्मा गाँधी अकेले ही शान्ति व्यवस्था की बहाली हेतु नोआखली गये, जिसे देख माउंट बेटन ने उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था।

संविधान सभा

- संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार स्वराज पार्टी ने 1924 ई0 में रखा था।
- इसके बाद यह माँग पहली बार एम.एन.रॉय (मानवेन्द्र रॉय) ने 1934 ई0 में रखी थीं।
- एम.एन.रॉय (मानवेन्द्र रॉय) ने सीपीआई पार्टी की स्थापना में अहम योगदान दिया था।
- भारत में साम्यवाद का जनक एम.एन.रॉय को कहा जाता है।
- संविधान सभा का गठन 9 दिसम्बर 1946 ई0 को किया गया था।
- कैबिनेट मिशन योजना के तहत जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था की गई।
- 10 लाख लोगों पर एक सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाएगा।
- इसी के तहत छोटी-2 रियासतों को मिला कर 10 लाख लोगों पर एक सदस्य मनोनित किया गया।
- संविधान सभा के गठन हेतु वयस्क मताधिकार को अस्वीकृत कर दिया गया था।
- उस समय भारत की कुल आबादी लगभग 39 करोड़ थीं। इसलिए संविधान सभा के लिए 389 सीट निर्धारित की गयी।

संविधान सभा की सीटों का आवंटन एक नजर



क्रम	स्थान का नाम	सीटों की संख्या	निर्वाचन का तरीका
1.	ब्रिटिश प्रान्त (11)	292	प्रत्यक्ष रूप से ।
2.	ब्रिटिश कमिश्नरी	04	अप्रत्यक्ष रूप से ।
3.	देशी रियासतें (532)	93	मनोनयन के द्वारा।

- 296 ब्रिटिश भारत प्रान्त, 93 देशी रियासतें और 04 ब्रिटिश कमिश्नरी (दिल्ली, बलूचिस्तान, अजमेर तथा कर्नाटक) के लिए आवंटित की गयी। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत चुनाव किया गया।
- कुल सीटों 389 में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73, व निर्दलीय 15 सीटें पर चुनाव लड़कर निर्वाचित हुये।
- देशी रियासत हैदराबाद को आवंटित सीटें खाली रही, क्योंकि उन्होंने अपने आपको इससे अलग रखा।

एटली की घोषणा (20 फरवरी 1947 ई0)

- ब्रिटेन में लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 ई0 को House of Common's में घोषणा की जून 1948 ई0 से पहले हम भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे।
- क्लेमेंट एटली ने वेवेल के स्थान पर माउंट बेटन को वायसराय नियुक्त कर भारत भेजा था।

माउंट बेटन योजना (3 जून 1947 ई0)

- 22 मार्च, 1947 को माउंट बेटन तमाम अभूतपूर्व शक्तियाँ लेकर हिंदुस्तान आये। वेवेल तब देश में ही था। यह पहला अवसर था, जब निवर्तमान और वर्तमान वायसराय एक ही समय पर भारत में थे।
- ये प्रोटोकॉल माउंट बेटन ने ही तुड़वाया था।
- भारत के अंतिम अंग्रेज वायसराय के रूप में माउंट बेटन (22 मार्च 1947 ई0 से 21 जून 1948 ई0 तक) रहे थे। माउंट बेटन के बचपन का नाम - Dickey Bird
- उनका एकमात्र उद्देश्य था कि जल्द से जल्द भारतीयों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान की जाये।
- 02 माह की बातचीत के बाद निष्कर्ष निकला कि भारत का विभाजन ही एकमात्र विकल्प है।
- 20 फरवरी 1947 ई0 को एटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की।
- 3 जून 1947 ई0 को माउंटबेटन योजना के अनुसार पाकिस्तान (14 अगस्त 1947 ई0) को तथा भारत (15 अगस्त 1947 ई0 रात 12 बजे) नामक दो स्वतंत्र डोमेनियन राज्यों में बाँट दिया गया।
- 15 अगस्त के दिन भारत को आजाद इसलिए किया, क्योंकि इसी दिन माउंट बेटन ने जापान की सेना का सरेंडर 15 अगस्त 1945 को कराया था। अपनी जिन्दगी का सबसे यादगार दिन बनाने के लिए उन्होंने भारत की स्वतंत्रता का यह दिन चुना।
- कांग्रेस की ओर से विवशता की स्थिति में पं0 जवाहर लाल नेहरू एवं सरदार पटेल जी ने विभाजन को स्वीकार कर लिया और गाँधी जी अंत तक विभाजन का विरोध करते रहे।

संविधान सभा पर बंटबारे का प्रभाव

- 3 जून 1947 ई0 को "माउंट बेटन योजना" के द्वारा भारत के बंटबारे के बाद संविधान सभा में 324 सीटें शेष रह गयी थीं।
- जिसमें 235 ब्रिटिश भारत प्रान्तों के लिए तथा 89 देशी रियासतों के लिए नियोजित की गई।
- संविधान सभा का पुर्नगठन 31 अक्टूबर 1947 ई0 को किया गया, तथा सीटों की संख्या 299 थी।
- जिसमें से 229 ब्रिटिश भारत प्रान्तों के लिए तथा 70 देशी रियासतों के लिए नियोजित की गई।
- देशी रियासतों को आवंटित सीटें खाली रही, क्योंकि उन्होंने अपने आपको संविधान सभा से अलग रखा

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 ई0

- ब्रिटिश संसद में क्लेमेंट एटली द्वारा 04 जुलाई 1947 ई0 को भारतीय स्वतंत्रता अधि0 लाया गया।
- House of Common's में 15 जुलाई 1947 ई0 को भारतीय स्वतंत्रता अधि0 पारित किया गया था।
- House of Lord's में 16 जुलाई 1947 ई0 को भारतीय स्वतंत्रता अधि0 पारित किया गया था।
- Crown से अनुमति 18 जुलाई 1947 ई0 को प्रदान की गयी।
- इस अधिनियम के द्वारा 3 जून की माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान की गयी थी।
- इस अधिनियम के द्वारा भारत को यह शक्ति प्रदान की गयी कि वह चाहे तो किसी भी अधिनियम को अपने अनुसार घटा, बढ़ा या बिल्कुल समाप्त कर सकते हैं। चाहे वह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 ई0 ही क्यों न हो।
- जब तक दोनों देशों के संविधान का निर्माण होगा तब तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम, 1935 ई0 तथा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 ई0 द्वारा किया जाएगा।

- जब तक दोनों देशों के **संविधान** का निर्माण होगा तब तक दोनों राज्यों का **गवर्नर जनरल / वायसराय** एक नाम मात्र का प्रमुख (**Rubber Stamp**) होंगे, जिनकी नियुक्ति **इंग्लैण्ड क्राउन** द्वारा की जाएगी।
- किसी भी देशी रियासतों को स्वतंत्र रहने का विकल्प **नहीं** दिया जाएगा, ये जहाँ चाहे **भारत** या **पाकिस्तान** में शामिल हो सकती हैं, और इस तरह **15 अगस्त 1947 ई0** को **भारतीय** इतिहास के एक कालखंड का अंत हुआ।
- **माउंटबेटन** को स्वतंत्र **भारत** का प्रथम **ब्रिटिश गवर्नर जनरल** बनाया गया था।
- **पं जवाहरलाल नेहरू** को **भारत** का प्रथम **प्रधानमंत्री** बनाया गया था।
- **14 अगस्त 1947 ई0** को **मौहम्मद अली जिन्ना** को **पाकिस्तान** का प्रथम **गवर्नर जनरल** बनाया।

संविधान सभा की महत्वपूर्ण तिथियाँ

❖ 9 दिसम्बर, 1946 ई0

- संविधान सभा की पहली बैठक **9 दिसम्बर 1946 ई0** को **नई दिल्ली** के **कॉन्स्टिट्यूशन हॉल** में आयोजित हुई। जिसे अब **संसद भवन** के **केन्द्रीय कक्ष** के नाम से जाना जाता है।
- इस हॉल का वर्तमान में **संयुक्त बैठक** के लिये प्रयोग किया जाता है।
- **फ्रेंच (फ्रांस) फैक्टर** के आधार पर बैठक में उपस्थित सबसे **उमदराज** सदस्य **डॉ0 सच्चिदानंद सिन्हा** को संविधान सभा का प्रथम **अस्थाई अध्यक्ष** बनाया गया। **लीग** ने इसका बहिष्कार किया।

❖ 11 दिसम्बर, 1946 ई0

- **डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद** को संविधान सभा की दूसरी बैठक में **स्थाई अध्यक्ष** घोषित किया गया।
- **उपाध्यक्ष**— **डॉ0 एच.सी. मुखर्जी** (हिरिकेश मुखर्जी), **टी.टी. कृष्णामाचारी**
- **वी0एन0 राव** (**बेनेगल राव**) को संविधान सभा के **सलाहकार** के रूप में नियुक्त किया गया। जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।

❖ 13 दिसम्बर, 1946 ई0

- **पं0 जवाहर लाल नेहरू** के द्वारा संविधान सभा के लिए **उद्देश्य प्रस्ताव** पेश किया गया।
- जिसे **भारतीय संविधान का दर्शन** भी कहा जाता है।

❖ 22 जनवरी, 1947 ई0

- संविधान सभा के द्वारा बनाये गये, **उद्देश्य प्रस्ताव** को **स्वीकार** कर लिया गया।
- **उद्देश्य प्रस्ताव** को कुछ संशोधन के साथ **संविधान की प्रस्तावना** के रूप में जोड़ा गया है।

❖ 15 अगस्त, 1947 ई0

- **ब्रिटिश संसद** में **4 जुलाई 1947 ई0** को **भारत स्वतंत्रता अधिनियम** का प्रस्ताव पेश किया गया।
- **18 जुलाई 1947 ई0** को प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस अधिनियम में कुल **20 धारारें** थीं।
- **2 अधिराज्यों** का गठन किया गया। **भारत** को **15 अगस्त 1947 ई0** को स्वतंत्रता प्राप्त हुई।

❖ 29 अगस्त, 1947 ई0

- **VN राव** के बनाये प्रारूप पर विचार हेतु **29 अगस्त 1947** को **प्रारूप समिति** का प्रस्ताव रखा गया
- **प्रारूप समिति** का अध्यक्ष **डॉ0 भीमराव अम्बेडकर** को बनाया गया।
- इस समिति के अध्यक्ष होने के कारण ही इन्हें **भारतीय संविधान का पिता** भी कहा जाता है।
- जो आजादी से पहले **ईस्ट बंगाल** (वर्तमान में **पाकिस्तान**) से चुने गये थे, परन्तु बंटवारे के बाद **बम्बई प्रेसीडेन्सी** की **पूना** सीट से निर्वाचित हुए। वहाँ के सदस्य **M.R. जयकर** से तुरन्त इस्तीफा दिलाया गया था।

- प्रारूप समिति में कुल सात सदस्य थे।
 1. डॉ० भीमराव अम्बेडकर (अध्यक्ष)
 2. एन० गोपाल स्वामी आर्यंगर
 3. अल्लादी कृष्णा स्वामी आर्यंगर
 4. डॉ० कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी
 5. सैय्यद मौहम्मद सादुल्ला
 6. एन० माधव राव (बीएल मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के बाद उनके स्थान पर)
 7. टी० टी० कृष्णामाचारी (डीपी खेतान की 1948 ई० में मृत्यु के बाद)

❖ 21 फरवरी, 1948 ई०

- प्रारूप के ऊपर 114 दिन में 141 बैठक करके बहस होने के बाद अध्यक्ष डॉ० भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रारूप समिति की रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 ई० को संविधान सभा के समक्ष पेश की गई।
- इस रिपोर्ट पर बहस की गयी जिसमें संविधान के प्रमुख तीन वाचन हुए।
- संविधान सभा के वाचन—
 1. प्रथम वाचन— (4 से 9) नवम्बर 1948 ई०
 2. द्वितीय वाचन— 15 नवम्बर 1948 ई० से 17 अक्टूबर 1949 ई०
 3. तृतीय वाचन— (14 से 26) नवम्बर 1949 ई०

❖ 26 नवम्बर, 1949 ई०

- इस दिन कुल 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने उपस्थित रहकर संविधान पर हस्ताक्षर किये।
- 26 नवम्बर 1949 ई० को भारतीय संविधान अर्गीकृत / प्रवर्तित / स्वीकृत किया गया।
- उस समय भारतीय संविधान में प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद 22 भाग, और 8 अनुसूचियाँ थीं।
- यह सभी अनु-5,6,7,8,9,60,324,366,367,379,380,388,391,392,393 इसी दिन लागू हो गये।
- नागरिकता के सभी प्रावधानों को 26 नवम्बर 1949 ई० को ही लागू कर दिया गया था।

❖ 24 जनवरी, 1950 ई०

- भारतीय संविधान सभा की अंतिम (12 वीं) बैठक 24 जनवरी 1950 ई० को सम्पन्न हुई।
- संविधान सभा की अंतिम सरकार (अस्थाई) बनायी गयी।
- सभा ने 1952 तक सम्पन्न हुए चुनावों तक भारतीय संसद के रूप में परिवर्तित होकर कार्य किया।
- कानून बनाने का अधिकार अब संविधान सभा के पास था।
- राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को दिनांक 24 जनवरी, 1950 ई० के ही दिन स्वीकार कर लिया गया था।

❖ 26 जनवरी, 1950 ई०

- 26 जनवरी 1930 ई० को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन (दिसम्बर 1929 ई०) में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया था। इस तारीख को सम्मानित करने के लिये “गणतन्त्र दिवस” के रूप में 26 जनवरी के दिन हर वर्ष मनाया जाता है।
- भारतीय संविधान को इसी वजह से 26 जनवरी 1950 ई० को लागू / अधिनियमित किया था।
- डॉ० राजेन्द्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बना दिया गया था।

संविधान सभा के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य —

- भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 ई० को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया।
- संविधान निर्माण में लगा कुल समय— 2 साल 11 माह 18 दिन

- संविधान के निर्माण में आयी कुल लागत- 63 लाख 96 हजार 729 रुपये
- संविधान सभा में निर्वाचित महिला सदस्य की संख्या तथा संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली महिला सदस्य की संख्या क्रमशः कितनी थीं?— 15 निर्वाचित , 8 के द्वारा हस्ताक्षर
- संविधान सभा में निर्वाचित SC/ST सदस्यों की संख्या— 33
- महात्मा गाँधी व मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।
- संविधान के निर्माण हेतु कुल 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया।
- जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती तो इसकी अध्यक्षता डॉ० राजेन्द्र प्रसाद करते, परन्तु जब भी सभा की बैठक बतौर विधायिका होती तो, अध्यक्षता जी०वी० मावलंकर करते थे। (26 नवम्बर 1949 ई० तक)
- संविधान सभा के द्वारा कुल कितनी समितियाँ का निर्माण किया गया था— 13 समिति
- संविधान सभा कि प्रमुख समितियाँ निम्नलिखित हैं।

क्रम	समिति का नाम	अध्यक्ष
1.	संघ शक्ति समिति	पं० जवाहर लाल नेहरू
2.	प्रांतीय संविधान समिति	सरदार वल्लभ भाई पटेल
3.	प्रारूप समिति	डॉ० भीम राव अम्बेडकर
4.	मौलिक अधिकार परामर्शदात्री समिति	सरदार वल्लभ भाई पटेल
5.	संचालन समिति	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद
6.	झण्डा समिति	जे० बी० कृपलानी
7.	राष्ट्र ध्वज सम्बन्धी तदर्थ समिति	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद

भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत

क्रम०	देश का नाम	विदेशी स्रोत
1.	संयुक्त राज्य अमेरिका	प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, SC, HC के जजों पर महाभियोग, वित्तीय आपातकाल, संविधान की सर्वोच्चता ।
2.	ब्रिटेन	संसदात्मक कार्य प्रणाली (भारत में द्वि-सदनात्मक प्रणाली है), राष्ट्रपति की शक्तियाँ, एकल नागरिकता, कानून के शासन की अवधारणा
3.	आयरलैंड	राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त, राष्ट्रपति निर्वाचन मण्डल (प्रणाली), 12 सदस्यों का राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन ।
4.	दक्षिण अफ्रीका	संविधान संशोधन प्रक्रिया ।
5.	रूस	मौलिक कर्तव्य ।
6.	जर्मनी	आपात काल ।
7.	ऑस्ट्रेलिया	समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा ।
8.	कनाडा	संघीय व्यवस्था (भारत में अर्धसंघीय प्रणाली है।) ।
9.	फ्रांस	गणराज्य या गणतन्त्र व्यवस्था ।

भारतीय संविधान की विशेषताएँ

1. भारतीय संविधान **सबसे विशाल** लिखित संविधान है।
 - विभिन्न जाति, धर्म, पंथ, समुदाय से सम्बन्धित कुछ न कुछ सभी के लिए भारतीय संविधान में होने के कारण यह बहुत विशाल है।
 - वर्तमान में लगभग 444 अनु0, कुल 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में शामिल हैं।
2. **संविधान की सर्वोच्चता** का होना।
 - **संसद** (लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति) हमेशा भारतीय संविधान के अनुसार ही कार्य करती है।
3. हमारा संविधान **कठोरतम** एवं **नम्यता** का मिश्रण है।
 - किन्हीं मामलों में भारतीय संविधान बहुत ही **लचीला** है।
 - जैसे राज्य के नाम, सीमा, आदि मामलों में बदलाव करना भारतीय संसद के लिए बहुत आसान काम है।
 - परन्तु कुछ मामलों में बहुत ही **कठोर** माना जाता है। (जैसे किसी राज्य के **मुख्यमंत्री** की शक्तियाँ को कम करके **राज्यपाल** की शक्तियाँ को बढ़ा पाना भारतीय संसद के लिए बहुत ही मुश्किल काम है।)
4. यह **संघात्मक संविधान** है, परन्तु **एकात्मक** भी है।
 - संघ की ओर झुका हुआ – राज्य से ज्यादा संघ को शक्ति।
 - जिस कारण भारत एक विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। मतलब केन्द्र सरकार जब चाहे जो चाहे राज्य में बदलाव कर सकती है। (नाम, सीमा, आदि मामलों में)
5. भारत में **संसदीय व्यवस्था** है।
6. **स्वतंत्र न्यायपालिका** है। (कोई वित्तीय संकट न्यायपालिका के लिए नहीं होगा क्योंकि इनके वेतन, भत्ते तथा अन्य खर्चे सीधे **भारत की संचित निधि** पर भारित होते हैं।)
7. **संसदीय संप्रभुता** एवं **न्यायिक सर्वोच्चता** में **समन्वय** का होना एक प्रमुख विशेषता है।
 - क्योंकि किसी मामले में केन्द्र सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर भारी साबित होती है।
 - जैसे 1, 24, 25 आदि भारतीय संविधान संशोधन।
 - किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय केन्द्र सरकार पर भारी साबित होता है।
 - NJAC के विधेयक को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।
8. भारतीयों के लिए **एकल नागरिकता** का होना।
 - किसी भी भारतीय को अलग से राज्यों की नागरिकता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
 - जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता के कारण वहां आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि वहां **51 संविधान** एक साथ कार्य करते हैं। (50 राज्यों के + 1 पूरे देश का)
9. भारत एक **पंथनिरपेक्ष राष्ट्र** है।
1. **अधित्याग का सिद्धान्त:-** इसका अर्थ, कोई भी नागरिक अपनी **इच्छा** से अपने मूल अधिकारों का त्याग राज्य के हित में कर सकता है। भारत में यह लागू नहीं है, परन्तु अमेरिका में यह लागू है।
 - **विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया-** यह प्रक्रिया भारत के संविधान में **इंग्लैण्ड** से लिया गया है।
 - इसके तहत **संसद** द्वारा बनाया गया कानून ही सही होगा। कोई भी **न्यायालय** समीक्षा का अधिकार नहीं रखता है। इस तरह कानून में संसद ही सर्वोपरि है। **जैसे-** बजट
 - **यथोचित विधि प्रक्रिया-** यह प्रक्रिया भारत के संविधान में **अमेरिका** से लिया गया है।
 - इसके तहत संसद द्वारा बनाया गया कानून को ही सही नहीं माना जायेगा। इसकी किसी भी **न्यायालय** के द्वारा समीक्षा की जा सकेगी। **जैसे-** कोई साधारण विधेयक
 - भारत के संविधान में इन दोनों ही प्रक्रियाओं का **समन्वय** देखा जा सकता है।

संविधान की रूपरेखा

1. प्रस्तावना (उद्देश्यिका)

- उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में 13 दिसम्बर 1946 को पं० जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया।
- इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 ई० को संविधान सभा में स्वीकार किया गया।
- उद्देश्य प्रस्ताव का ही परिवर्तित रूप भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। जिसे संविधान की कुर्जी कहा जाता है।
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना (उद्देश्यिका) निम्नलिखित है।

“हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्राप्त कराने के लिए, तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली, बन्धुत्व बढ़ाने के लिए, दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवम्बर 1949 ईस्वी (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।”

भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तत्व

1. हम, भारत के लोग— भारत की जनता संविधान की शक्ति का श्रोत है।
 2. राष्ट्र की प्रकृति— एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है।
 3. उद्देश्य— समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समता प्राप्त कराने के लिए।
 4. समय— दिनांक 26 नवम्बर 1949 ईस्वी अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था।
- संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं ?— प्रस्तावना में
 - प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, आजादी तथा समता प्रदान की गयी है?
 - न्याय— (03) सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक
 - आजादी— (05) विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना और धर्म
 - समता— (02) प्रतिष्ठा और अवसर
 - अल्लादी कृष्णा स्वामी आयरंगर ने कहा था कि प्रस्तावना भविष्य के सपना का विचार है।
 - के०एम० मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को भारत की जन्म कुण्डली कहा था।
 - Arnest Banker ने संविधान की प्रस्तावना को Key Note कहा था।
 - प्रस्तावना के अनुसार भारत, एक प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है।

1. समाजवादी –

- समाज के सभी संशोधनों का समाज के मध्य विवेकपूर्ण तरीके से वितरण करना।
- भारत में नेहरूवादी मिश्रित समाजवादी मॉडल को अपनाया गया है।

2. पंथनिरपेक्ष –

- भारत सरकार किसी भी धर्म / पंथ का ना ही समर्थन करेगी और ना ही उसका विरोध करेगी।

3. लोकतांत्रिक गणराज्य –

- शासनाध्यक्ष को हमेशा जनता द्वारा ही निर्वाचित किया जाएगा। यह लोकतांत्रिक का अर्थ है।
- राष्ट्राध्यक्ष को हमेशा जनता द्वारा ही निर्वाचित किया जाएगा। यह गणराज्य का अर्थ है।

- गणराज्य होने का सबसे बड़ा लाभ यह है, कि कोई व्यक्ति अभिमान नहीं करेगा कि वह एक विशिष्ट व्यक्ति है अथवा उसका कोई पूर्वज भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अथवा अन्य कोई पदाधिकारी रहा था, तो अब वह उसके बाद उस पद का उत्तराधिकारी होगा।
- “राजा का बेटा राजा नहीं बनाया जाएगा” केवल वहीं पदाधिकारी होगा जिसे जनता चुनेगी।

4. संप्रभुता (Sovereignty)–

- वह राज्य जो अपने आन्तरिक तथा बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए सम्पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, संप्रभुत्व राज्य कहलाता है।

5. प्रभुसत्ता से क्या अभिप्राय है ?– जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व

6. बंधुत्व– सभी व्यक्ति आपस में मिल-झुल कर रहेंगे। (हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई की आपसी एकता) संविधान की प्रस्तावना से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण वाद कि प्रस्तावना संविधान का भाग है अथवा नहीं ?

i. री-वेरुबारी यूनियन वाद 1960

- इस वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं माना।

ii. केशवानन्द भारती वाद बनाम केरल राज्य 1973,

- इस वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग माना।
- इस वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय की (12+1) न्यायाधीशों वाली सबसे बड़ी खण्डपीठ ने 24 अप्रैल 1973 ई0 को 7:6 के अनुपात में फैसला सुनाते हुए कहा कि, संसद, भारतीय संविधान के किसी भी भाग में (प्रस्तावना सहित) संशोधन कर सकती है।
- इसी निर्णय में टिप्पणी की, कि प्रस्तावना के मूल ढाँचे को नुकसान पहुँचाये बगैर संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है।
- उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश शर्व मित्रा सीकरी थे।
- 42वाँ संविधान संशोधन 1976 ई0 के तहत (तीन शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े– समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणराज्य)
- फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संसद कभी भी संविधान सभा के बराबर नहीं हो सकती है।

iii. SR बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया

- इस वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं माना।
- मार्च 1994 ई0 को इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसले में कहा था कि- “भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है न कि धर्मतान्त्रिक देश है।”

iv. LIC vs Capital of India, 1995

- इसमें SC ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं माना। इसके अनुसार प्रस्तावना के बारे में कहा गया कि, यह विधायिका के हाथ की शक्ति नहीं है, और न ही इसे Bounded किया जाएगा। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, परन्तु यह न्याय योग्य नहीं होगा।
- प्रस्तावना में लिखी हुई किसी भी बात के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी न्यायालय में किसी भी सरकार के ऊपर मुकदमा दायर नहीं कर सकता है।
- प्रारंभ में, भारतीय संविधान के 22 भाग थे। बाद में, संशोधन के साथ भाग IVA, IXA, IXB और XIVA को इसमें जोड़ा गया। 7वें CAA 1956 ई0 में VII भाग को समाप्त कर दिया गया है।
- वर्तमान में उप-भागों को मिलाकर कुल भागों की संख्या 25 है।

भारतीय संविधान के भाग

क्रम	भाग	विषय का नाम	अनुच्छेद
1.	भाग I	संघ और उसका क्षेत्र	1 से 4
2.	भाग II	नागरिकता	5 से 11
3.	भाग III	मौलिक अधिकार	12 से 35
4.	भाग IV	राज्य के नीति निर्देशक तत्व	36 से 51
5.	भाग IVA	मौलिक कर्तव्य	51A
6.	भाग V	संघ अध्याय I - कार्यकारी शक्ति (अनुच्छेद 52-78) अध्याय II - संसद (अनुच्छेद 79-122) अध्याय III - राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ (अनुच्छेद 123) अध्याय IV - केंद्रीय न्यायपालिका (अनुच्छेद 124-147) अध्याय V - भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (अनुच्छेद 148 से 151)	52 से 151
7.	भाग VI	राज्य अध्याय I - सामान्य नियम (अनुच्छेद 152) अध्याय II - कार्यकारी शक्ति (अनुच्छेद 153-167) अध्याय III - The State Legislature (राज्य विधायिका, अनुच्छेद 152- 237) अध्याय IV - राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ (अनुच्छेद 213) अध्याय V - उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 214 से 232) अध्याय VI - अधीनस्थ न्यायालय (अनुच्छेद 233 से 237)	152 to 237
8.	भाग VII	पहली अनुसूची के B भाग में राज्यों के नियम, जिसे 7वें संविधान संशोधन 1956 ई0 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।	
9.	भाग VIII	केंद्र शासित प्रदेश	239 से 242
10.	भाग IX	पंचायत	243 से 243O
11.	भाग IXA	नगरपालिकाएँ	243P से 243ZG
12.	भाग IXB	सहकारी समितियाँ	243H से 243ZT
13.	भाग X	अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र	244 से 244A
14.	भाग XI	संघ और राज्यों के बीच संबंध अध्याय I - विधायी संबंध (अनुच्छेद 245 से 255) अध्याय II - प्रशासनिक संबंध (अनुच्छेद 256 से 263)	245 से 263
15.	भाग XII	वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद अध्याय I - वित्त (अनुच्छेद 264 से 291) अध्याय II - ऋण (अनुच्छेद 292 से 293) अध्याय III - संपत्ति, अनुबंध, अधिकार, देयताएं, दायित्व और सूट (अनुच्छेद 294 से 300) अध्याय IV - संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 300-A)	264 से 300A
16.	भाग XIII	भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और अंतरराज्यीय सम्बन्ध	301 से 307
17.	भाग XIV	संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ	308 से 323
18.	भाग XIVA	न्यायाधिकरण	323A से 323B
19.	भाग XV	चुनाव	324 से 329A
20.	भाग XVI	कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान	330 से 342
21.	भाग XVII	आधिकारिक भाषा अध्याय I - संघ की भाषा (अनुच्छेद 343 से 344) अध्याय II - क्षेत्रीय भाषाएँ (अनुच्छेद 345 से 347) अध्याय III- उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, आदि की भाषा (अनुच्छेद 348 से 349) अध्याय IV- विशेष निर्देश (अनुच्छेद 350 से 351)	343 से 351
22.	भाग XVIII	आपातकाल के प्रावधान	352 से 360
23.	भाग XIX	विविध	361 से 367
24.	भाग XX	संविधान संशोधन	368
25.	भाग XXI	अस्थायी, ट्रांजीशनल और स्पेशल प्रावधान	369 से 392
26.	भाग XXII	लघु उपाधि, कोम्मैसमेंट, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन	393 से 395

अनुसूची

- **प्रथम अनुसूची**— भारत राज्यों का एक संघ (28 राज्य, 9 केन्द्रशासित प्रदेश)
 - **द्वितीय अनुसूची**— विभिन्न पदाधिकारियों को मिलने वाला वेतन भत्ते व पेंशन आदि, जिसे संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है।
 - **तृतीय अनुसूची**— पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप।
 - **चौथी अनुसूची**— राज्य सभा में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व (राज्यसभा में सीटों का बंटवारा)
 - **पाँचवी अनुसूची**— अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान।
 - **छठवी अनुसूची**— असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय में अनुसूचित जनजातियों के बारे में।
 - **सातवी अनुसूची**— संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा (संघ, समवर्ती, राज्य सूची)
 - i. **संघसूची**— पहले 97 विषय थे। अब 100 है। (पहले—मूल संविधान, अब— वर्तमान स्थिति)
 - ii. **राज्यसूची**— पहले 66 विषय थे। अब 61 है।
 - iii. **समवर्ती सूची**— पहले 47 विषय थे। अब 52 है।
- नोट:-** अनु0-249 के तहत कुछ विषयों पर संघ सरकार भी राज्यों के लिए कानून बना सकती है।
- **आठवी अनुसूची**— भाषा (मूल संविधान में 14 भाषा थीं, जबकि वर्तमान में कुल 22 भाषा है)
 - 21 वां CAA 1967— सिंधी। (15 वीं)
 - 71 वां CAA 1992— कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। (क्रमशः 16, 17, 18) वीं
 - 92 वां CAA 2003— मैथिली (बिहार), संथाली (झारखण्ड), बोडो (असम), डोगरी (J&K) (क्रमशः)
 - भारतीय संविधान में इन सभी भाषाओं को “Alphabetic Order” में लिखा गया है।
 - **नौवी अनुसूची**— न्यायिक प्रतिरक्षा
 - पहले भारतीय संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। भूमि सुधार सम्बन्धित सभी कानून इसी में रखे जाते हैं। यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है।
 - **नोट:-** सम्बन्धित वाद केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य, 1973 ई वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल 1973 ई0 को आदेश किया, कि वर्ष 1973 ई0 के बाद जो भी वाद इसमें डाले जायेंगे उनकी समीक्षा की जा सकेगी।
 - परन्तु, इसका फैसला भविष्यलक्षी सिद्धान्त के तहत किया गया। जिसका अर्थ है, जो वाद वर्ष 1973 ई0 के पहले के होंगे उनकी समीक्षा आज भी नहीं की जा सकती है।
 - **दसवी अनुसूची**
 - दलबदल निषेध कानून, 52वाँ संविधान संशोधन 1985
 - 2000 ई0 में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मन ने 5 करोड़ रुपये लिये और कांग्रेस की सरकार में मंत्री पद लेकर दल-बदल लिया था।
 - लोकतंत्र की निर्मम हत्या (माना किसी दल के उम्मीदवार को 80% मत मिले और चुनाव जीत गया हो, परन्तु जीता हुआ उम्मीदवार पुनः उसी दल में चला जाता है, जिसका प्रत्याशी चुनाव हारा था।
 - इन सभी कुप्रभावों को रोकने हेतु दल-बदल निषेध कानून लाया गया।
 - **अपवाद:-** अगर दल के 2/3 सदस्य जीतने के बाद दल बदलना चाहे तो वह दल बदल सकते हैं।
 - **ग्यारहवी अनुसूची**— 73वाँ CAA 1993 पंचायती राज व्यवस्था— (जिला, ग्राम, व क्षेत्रीय पंचायतें) इस अनुसूची में कुल 29 विषय दिये गये हैं, जिस पर पंचायत काम करती है।
 - **बारहवी अनुसूची**— 74वाँ CAA 1993 शहरों में स्थानीय शासन व्यवस्था का उल्लेख है। (नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत) इस अनुसूची में कुल 18 विषय दिये गये हैं।